डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : प्रशा० / 586 / 2021
दिनांक : 03 / 06 / 2021

सूचना

विश्वविद्यालय के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय के खन्दारी परिसर, पालीवाल पार्क परिसर, गोपाल कुंज परिसर एवं सल्तान गंज परिसर के आवासों में टोरण्ट पॉवर से प्रीपेड विद्युत मीटर कनैक्शन किये जाने हैं। उक्त के सम्बन्ध में कुलपति जी की कुलाधिपति महोदया से दिनांक 02.06.2021 को हुई बैठक में निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के सभी अधिकृत अध्यासियों को स्वंय के खर्चे पर प्रीपेड विद्युत मीटर कनैक्शन लगवाने हैं। उक्त सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश किये गये हैं जिनका अनुपालन अध्यासियों द्वारा नहीं किया गया है।

आपको अवगत कराना हैं कि आप परिसर में निम्न श्रेणी के अध्यासी हैं

1. वैध अध्यासी परन्तु प्रीपेड विद्युत मीटर कनैक्शन आवेदन नही किया है।
2. अवैध अध्यासी।

उक्त परिस्थितिओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के सभी परिसर के सभी अधिकृत अध्यासी 10 दिन के अन्दर टोरण्ट पॉवर से प्रीपेड विद्युत मीटर कनैक्शन स्वंय करा लें। विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिन बाद आवासों की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करा दी जायेगी। विद्युत आपूर्ति के अभाव में आने वाली असुविधा के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा इसी क्रम में मा० कुलपति जी ने ऐसे अध्यासी जो अवैध रूप से रह रहे हैं अथवा जर्जर आवासों में रह रहे हैं उन्हें आदेशित किया है कि वे तत्काल आवास खाली कर दें।

/
कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य प्रानुशासक।
3. वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. विश्वविद्यालय अभियन्ता।
6. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
7. समस्त सहायक कुलसचिव।
8. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने विभाग में कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक एवं अधिकारी से निर्धारित अवधिमें विद्युत कनैक्शन आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करें।
9. विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं सभी परिसरों में चस्पा करने हेतु।
10. एजेन्सी 2020–21 विश्वविद्यालय वेब साइट पर समस्त जनो को सूचना के लिए अपलोड करने हेतु प्रेषित।
11. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

सेवा में,

....

....

....